

04/20

पत्रावली पेय हुई। वकील उषय पस उपर/उत्त पत्रावली में लैण्ड लेटर की ओर से जवाब पेय किया जा चुका है। लैण्ड लेटर ने अपने जवाब में अकात कराया है कि ग्राम सीतापुर के आ.ख.न. 137/508 साविक ख.न. 30 से बना है। जो कि साविक रिकार्ड में जे. भू. शास्त्रा दर्ज था। जिसका रकबा 6 बीघा 6 किस्वा सेंट्रलमेंट विभाग द्वारा कोई गलत कार्यवाही नहीं की गई। यह है कि हाल ख.न. 136, 141, साविक ख.न. 32 मि. रकबा 20 बीघा 17 किस्वा से बना है जो साविक रिकार्ड में जगदीश पुत्र बदरी स्वामी निवासी कोटली जेपुरा को सत्तेदारी दर्ज थी। हाल ख.न. 134 साविक ख.न. 40 मि. रकबा 33 बीघा 10 किस्वा से बना है। जो साविक रिकार्ड में सुरजन सिंह 510 वैरिलाल शप्रुत सा. डेट स्वतियार दर्ज है। हाल ख.न. 133 साविक ख.न. 41 रकबा 13 बीघा 14 किस्वा से बना है। जो साविक रिकार्ड में भैरवदास पुत्र रामजीदास स्वतियार दर्ज है। हाल ख.न. 137/508 साविक ख.न. 30 रकबा 6 बीघा 6 किस्वा मिस्त्र भूमि जे. भू. शास्त्रा से बना है। इस प्रकार वादी द्वारा बाद पत्र तथ्यों को धुपा कर पेरा किया गया है। उत्त. वादी का दावा इसी स्टेप पर शरीर किया जाता है। पत्रावली केवल शूमार लेकर बाद लक्ष्मील दफतर दाखिल कीजिए। यह निवेदि आप वितांक 04-2-20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

डा. जिला कलक्टर

